Title:Regarding disparity in the education of differently-abled children in the country.

डॉ. विरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बच्चों का विÂाय श्न्य काल में उठाना चाहता हूं जो न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं और न सुन पाते हैं...(व्यवधान)

मडोदय, शारीरिक एवं मानिसक रूप से कमजोर बद्वों को अभी भी सामान्य छात्रों के साथ बराबरी में बैठकर शिक्षा हासिल करना बहुत कठिन काम हैं। देश में विकलांग बद्वों की संख्या के अनुपात में प्रथमिक, मिहिल, हाई रकूल एवं हायर सेकेण्डरी रकूलों की संख्या काफी कम हैं। संभागीय मुख्यालयों तक पर भी हाई रकूल नहीं खुल पाये हैं। करवें एवं तहसीलों में भी एक भी प्रथमिक विद्यालय नहीं है तथा पृशिक्षित शिक्षाकों की भी कमी हैं। ऐसे में नगरों एवं महानगरों के बद्वों को शिक्षा के साधन एवं स्थान उपलब्ध होने से वहां के बद्वे तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं, किन्तु मूमीण क्षेत्रों के बदवे शिक्षा से दूर ही रह जाते हैं। सीबीएसई में भी विकलांग छातू दस्वीं से बारखीं तक जाते-जाते आये रह जाते हैं। दिल्ली सिहत सभी राज्यों में कमोबेश यही स्थिति हैं। दिल्ली में विकलांग छातू थे, वहीं बारखीं की परीक्षा में यह संख्या 1056 ही रह मथी। केरल में दस्वीं में 535 छातूं ने परीक्षा ही, जबिक बारखीं में 90 छातूं ने, महाराभैद्र में भी दस्वीं में 301 बद्वों ने परीक्षा ही। बारखीं में यटकर संख्या 45 रह मथी। बिहार में दस्वीं में 144 विकलांग छातू थे, बारखीं में घटकर 40 रह मथ। उद्य शिक्षा में भी विकलांग छातूं की संख्या नगण्य हैं। एनसीपिईडीपी के एक सर्वे के अनुसार देशभर में लगभग 150 कॉलेजों और विधिवयालयों में अरयशन कर रहे छातूं की संख्या 1521348 है तथा इनमें विकलांग छातूं की संख्या 8449 हैं, जो कुल छातूं के मात् 0.56 पृतिशत हैं। विकलांगता अधिनयम, 1995 के क्रियानव्यन के लगभग 20 विकलांग छातूं का वो दो परसेंट का कोटा था, उसमें सात ऐसे छातूं को पृतेश मिल गया, जिन्होंने फर्जी विकलांगता के पृत्रभाप के बात रहेंन हों। अत्र संख्य में सात हों। अत्र संख्य हैं। अत्र संख्य हैं। अत्र विवलांग बद्वों के व्यायार्थ के के व्यायस्वारिक्श के व्यायस्वारिक्श के व्यायस्वारिक्श के वात रावेदनशील मुद्दे पर काफी उदार्यीनता हैं। विवलांग बद्वें समाज की उपेक्षा के शिक्षा के स्वायां में सहपाठी और शिक्षा के द्वाय हैं। सहपाठी और तथा से उपेक्षा के लोग के लोग भी एक रमय के बाद उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। ...(व्यवयान) मंदबुद्ध, नेतृहीन एवं विवलांग बद्वों को रिवलांग बद्वों में शरीहित हैते हैं तथा परिवार के जीवन की विकलताएं और भी बहु जानी हैं। ...(व्यवयान) मंदबुद्ध, नेतृहीन विवलांग करवों को विवलांग के व

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुसेध हैं कि विवलांग छात्रों की उचित शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में अंध-मूक-बिधर विवलांग विद्यालयों की संख्या बढ़ाने एवं उनमें पृशिक्षित शिक्षकों द्वारा मानवीय संवेदनाओं सिहत शिक्षा देने की शीघू कार्यवाही कराने का सहयोग करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवादा...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Singh and

Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Dr. Virendra Kumar.